

24/04/23 पत्रावली फेरा दुकी वकील आर्ची उपः।

विपरीतगण छे नोखल समील सुदा प्राप्ता होने छे

बावपुद मेरे अप. नही हुआ अरु: उनके लखिदह

एकरसा अर्थवही अमल मे लखि जाले ह्ये वकील आर्ची

ने बहल सुनेने अ निवेदन किया। वकील आर्ची की बहल

हुनी गइ। बहल पर मनन ठिया। पत्रावली अ अवलोउन

ठिया एवं लिखित दस्तावेजाले अ अवलोउन ठिया गया।

भिले उचल होरा ह्ये छि आर्ची वकील आर्चीना पत्र

सचोतर करे योग्य ह्ये अरु: नेशवलेदी निर्गम अलग

के लिखा जातर बागिल पत्रावली किया गया। पत्रावली

फाइल सुदा होकर कारिफल दफतर हो। संख्या से उम थो।

Rajesh

ल.स.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 22/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
मुकनाराम वगैरा बनाम ठाकराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री मेहराराम

निर्णय


दिनांक - 24/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामडला भू.अ.नि. क्षेत्र बामडला के मौजा सियोलो का डेर के खेत खसरा संख्या 647/600 रकबा 1.8373 हैक्ट. खसरा संख्या 648/600 रकबा 1.7644 हैक्ट. किस्म बा.दो स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगडडी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामडला भू.अ.नि. क्षेत्र बामडला के मौजा सियोलो का डेर के खेत खसरा संख्या 647/600 रकबा 1.8373 हैक्ट. खसरा संख्या 648/600 रकबा 1.7644 हैक्ट. स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी 1. मुकनाराम पुत्र लूम्बाराम 2. नेनाराम पुत्र रिड़मल, जातियान जाट निवासी शेरपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण 1. ठाकराराम पुत्र चौला 2. गंगादेवी पत्नी चौला 3. किसनाराम पुत्र चौला 4. गोगा पुत्र नरसिगा 5. खुमा पुत्र टीकमा 6. गोगा पुत्र नरसिगा 7. मंगला पुत्र नरसिगा 8. किशना पुत्र नरसिगा 9. मीरा पत्नी गुमना 10. रूपा पुत्र दुर्गा 11. पुराराम पुत्र गुमना 12. लिछाराम पुत्र गुमना 13. सोनाराम पुत्र गुमनाराम 14. गोडाराम पुत्र गुमनाराम 15. गोरखाराम पुत्र जेहराम 16. जगमाल पुत्र हरजी 18. हीराराम पुत्र भारथाराम 19. फोटोदेवी पत्नी जेहराम 20. चेनाराम पुत्र नारणा 21. हुकमा पुत्र खेता 22. तिला पुत्र चुना 23. दुदाराम पुत्र चुना जातियान जाट निवासी शेरपुरा तहसील सेड़वा 24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा</p>
--	--------------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 22/2023

दिनांक : 24/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा सीयोलो का डेर के खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 647/600 रकबा 1.8373 हैक्ट. खसरा संख्या 648/600 रकबा 1.7644 हैक्ट. किस्म बा.दो के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 727-30

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी मुकनाराम पुत्र लूम्बाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण ठाकराराम पुत्र चौला वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
दिनांक 24/04/23

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा